



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16092025-266177
CG-DL-W-16092025-266177

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, सितम्बर 7—सितम्बर 13, 2025, शनिवार/भाद्र 16—भाद्र 22, 1947
No. 32] NEW DELHI, SEPTEMBER 7—SEPTEMBER 13, 2025, SATURDAY/ BHADRA 16—BHADRA 22, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 149.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में प्रोफेसर सह उप प्रधानाचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, प्रोफेसर कम उप प्रधानाचार्य, (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रोफेसर कम उप प्रधानाचार्य	01*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800- 209200 रुपये)।	चयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) ।</p>	<p>प्रोन्नति: नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के ऐसे असोसिएट प्रोफेसर जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 श्रेणी में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो एवं किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में स्नातकोत्तर के साथ साथ नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशासन में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है): केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या लोक क्षेत्र उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर11(67700-208700/- रुपये) नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव धारण करते हों:</p> <p>अनिवार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री; किसी राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत। नर्सिंग में स्नातकोत्तर के साथ बारह वर्षों का अनुभव जिसमें से कॉलेजिएट कार्यक्रम में न्यूनतम दस वर्षों के अध्यापन का अनुभव। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र सरकार में नर्सिंग में प्रशासन में तीन वर्षों का अनुभव। <p>वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में एम.फिल या पी. एचडी।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष और मेंबर, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. अतिरिक्त महानिदेशक या उप महानिदेशक (योजना), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 4. नर्सिंग सलाहकार या सहायक महानिदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.11018/01/2023-एमई/एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 8th September, 2025

G.S.R. 149.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor cum Vice Principal in the Ministry of Health and Family welfare, College of Nursing, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, College of Nursing, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Professor cum Vice Principal, (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Professor cum Vice Principal	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (Including Short-term Contract).	<p>Promotion:</p> <p>Associate Professor of College of Nursing, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in level-11 of the pay matrix with five years regular service in the grade and have undergone training in Nursing Education and Administration with Post graduation in Nursing from a recognised University or Institute.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union territories Administration or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years of regular service rendered after appointment in the pay matrix level-11 (Rs. 67700-208700/-) in the parent cadre or department;</p> <p>and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience as under:</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Masters degree in Nursing from a recognised University or Institute;</p>

			<p>(ii) registered as a Nurse and Midwife with a State Nursing Council;</p> <p>(iii) twelve years experience with Masters degree in Nursing out of which ten years should be teaching experience with minimum five years in collegiate programme; and</p> <p>(iv) three years of experience in administration in Nursing in State Government or Union territories Administration or Central Government.</p> <p>Desirable: M. Phil or PhD in Nursing from a recognised university.</p> <p>Note 1: - period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>
--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairperson; 2. Additional Director General of Health Services or Deputy Director General (Planning), Directorate General of Health Services - Member; 3. Director (Administrative and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member; 4. Nursing Advisor or Assistant Director General (Nursing), Directorate General of Health Services - Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No. A.11018/01/2023-ME/MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.